न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/72

बालचन्द पुत्र श्री गोपीलाल आयु 52 वर्ष जाति चमार निवासी वार्ड नं0 23 रेदास कॉलोनी रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. राजकीय प्राथमिक विद्यालय रैदास कॉलोनी रामगंजमण्डी जरिये प्रधानाध्यापक, पंचायत समिति खैराबाद ।

---रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री डी0 एल0 नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामबाबू मालव, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 25.10.2017

1. अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.2012 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटा ने राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम, 1963 के अन्तर्गत ग्राम हनुवतखेडा की आराजी खसरा नम्बर 545 की रकबा 0.65 हैक्टर में से रकबा 0.16 हैक्टर सिवायचक भूमि रा0 प्रा0 विद्यालय, रैदास कॉलोनी रामगंजमण्डी को दिनांक 12.12.2012 को आवंटित करने का आदेश पारित किया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आवंटित आदेश दिनांक 12.12.2012 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का निवेदन किया ।

अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही पारित किया है । उक्त आवंटन आदेश की अपीलान्ट को कोई सूचना आदि नहीं दी गई जिससे उक्त आदेश की अपीलान्ट को कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी । उक्त आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 07.01.2015 को अधीनस्थ न्यायालय में जानकारी करने पर हुई जिस पर उक्त आदेश की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

5. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि उक्त आवंटित भूमि पर अपीलान्ट का पिछले 35–40 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है । अपीलान्ट के पास उक्त भूमि के अलावा कोई और भूमि नहीं है और अपने परिवार की जीविकोपार्जन के लिये अन्य कोई साधन नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आवंटन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस आदि नहीं दिया है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त आदेश पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 12.12.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

7. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटा ने राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम, 1963 के अन्तर्गत ग्राम हनुवतखेडा की आराजी खसरा नम्बर 545 की रकबा 0.65 हैक्टर में से रकबा 0.16 हैक्टर सिवायचक भूमि रा0 प्रा0 विद्यालय, रैदास कॉलोनी रामगंजमण्डी को दिनांक 12.12.2012 को आवंटित करने का आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2012 बहाल रखा जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

9. अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटा ने राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम, 1963 के अन्तर्गत ग्राम हनुवतखेडा की

[illegible] खसरा नम्बर 545 की रकबा 0.65 हैक्टर में से रकबा 0.16 हैक्टर सिवायचक भूमि रा0 [illegible] विद्यालय, रैदास कॉलोनी रामगंजमण्डी को दिनांक 12.12.2012 को आवंटित करने का आदेश पारित किया । अपीलान्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे साबित हो कि उक्त आवंटन आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि की हो ।

10. अपीलान्ट ने उक्त आवंटित आराजी पर अपना कब्जा काश्त होना बताया है परन्तु यदि यह मान भी लिया जावे कि उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त है तो वह एक अतिक्रमी की हैसियत से है जिससे उसे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2012 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 25.10.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा